न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेरी खुर्द

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2014 / 200 दायरा दिनांक 23.09.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1. फारूक अली खॉ पुत्र इलाई बक्सखॉ जाति कायमखानी निवासी :–बेरी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरूखॉ पुत्र सादूलखॉ 2. सरवरखॉ पुत्र सादूलखॉ 3. लियाकत पुत्र सादूलखॉ 4. बलकेश पुत्री सादूलखॉ 5. महफुल पुत्री सादूलखॉ 6. शौकतखॉ पुत्र अकबरखॉ 7. रमजान पुत्र अकबरखॉ 8. भंवरी पत्नि अकबरखॉ 9. हिदायतखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 10. फुलेखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 11. बाबूखॉ पुत्र यासीनखॉ 12. अनारबानू पत्नि यासीनखॉ 13. हाकमअलीखॉ पुत्र अजीम खॉ 14. हबीबखॉ पुत्र अजीमखॉ 15. मुन्शीखॉ पुत्र अजीमखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी :–बेरी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 16. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं सरहद बेरी खुर्द कें खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा व खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा व खेत ख. न. 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ही कुटुम्ब कबिले से सम्बन्धित है।

वादी व प्रतिवादीगण सरहद बेरी खुर्द कें खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा व खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा व खेत ख. न. 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा में सामलाती खातेदार है।किन्तु वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी सुविधानुसार इन खेतो का आपस में बन्ट कर लिया हैं। तथा सिंवे–निवें कायम कर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

लिए है, जिसके मुताबिक खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस का कब्जा काश्त है, खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में वादी फारुकअलीखॉ का अकेले का ही कब्जा काश्त है।शेष खसरा नम्बर 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 का कब्जा काश्त है।इसी अनुरुप वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बन्ट कर रखा हैं।

वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वजो ने ही इन खैताय का उपर वर्णित पैरा के मुताबिक आपसी सहमति से बन्टवारा कर लिया था।प्रतिवादी अकबरखॉ का इन्तकाल हो चुका है, उनकी जगह प्रतिवादी संख्या 06 ता 08 उनके वारिसान है।खातेदार ईलायची का भी इन्तकाल हो चुका है।उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 है।

वादी व प्रतिवादी के बीच खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा व खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा व खेत ख. न. 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा का मौके पर भौतिक तोर पर बन्ट हो चुका है किन्तु राजस्व रेकर्ड में बन्ट नही होने से कई बार सीवें–नीवों का विवाद बना रहता है, इसलिए यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बन्टवारा का करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि

सरहद बेरी खुर्द के खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस के नाम ,व, खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में अकले वादी के नाम व खेत खसरा नम्बर 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 के नाम घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावें।

वादी के खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी नही करे और न ही अन्य किसी से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 27.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 16 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 ता 16 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते शहादत वादी हेतु दिनाकं 04.12.2014 को नियत की गई।

वादी व प्रतिवादीगण कोंट केम्प ग्राम पंचायत बेरी खुर्द में उपस्थित हुय वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम में की गई। मौके पर वादी खेत ख. न. 16 का कब्जा होने की पुष्टि मजमे आम मौजिज व्यक्तियों से की गई।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द के खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस के नाम ,व, खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में अकले वादी के नाम व खेत खसरा नम्बर 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 के नाम घोषित की जाती है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **29.06.2017** को कोर्ट कैम्प बेरीखुर्द में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2014/200** दायरा दिनांक **23.09.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. फारूक अली खॉ पुत्र इलाई बक्सखॉ जाति कायमखानी निवासी :– बेरी खुर्द तहसील– डीडवाना,जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भंवरूखॉ पुत्र सादूलखॉ 2. सरवरखॉ पुत्र सादूलखॉ 3. लियाकत पुत्र सादूलखॉ 4. बलकेश पुत्री सादूलखॉ 5. महफुल पुत्री सादूलखॉ 6. शौकतखॉ पुत्र अकबरखॉ 7. रमजान पुत्र अकबरखॉ 8. भंवरी पत्नि अकबरखॉ 9. हिदायतखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 10. फुलेखॉ पुत्र अस्तअलीखॉ 11. बाबूखॉ पुत्र यासीनखॉ 12. अनारबानू पत्नि यासीनखॉ 13. हाकमअलीखॉ पुत्र अजीम खॉ 14. हबीबखॉ पुत्र अजीमखॉ 15. मुन्शीखॉ पुत्र अजीमखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी :–बेरी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 16. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 29.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेरी खुर्द के खेत ख. न. 15 रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस के नाम ,व, खेत ख. न. 16 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में अकले वादी के नाम व खेत खसरा नम्बर 122 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 11 ता 15 के नाम घोषित की जाती है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की जावे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................. ..–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
म्प अर्जीदावा म्प वकालतनामा म्प वजह सबूत नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर त इजराय मनामा फर्रिक			म्प वकालतनामा म्प अर्जी नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर त इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
जान			जान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner